

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग-491001

क-155 दि. 06/06/26

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/151
दिनांक 20.05.2026

आवेदक

Smt. Amita Sahagal W/o Rajeev Sahagal,
H No- 151, Surya Apartment, Model
Town, Bhilai
बी.पी. नं. 1002005684,
मो नं. 916767747, 9713678606

विरुद्ध

1. EE(City-W) Division Bhilai
2. A.E. Nehru Nagar Zone

अनावेदकगण

विषय :-उपभोक्ता के विद्युत मीटर में वास्तविक उपयोग की तुलना में अधिक खपत दर्ज होने संबंधित शिकायत।

आदेश

(आज दिनांक 06.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह उल्लेख किया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1002005684 के मीटर में वास्तविक उपयोग की अपेक्षा अधिक विद्युत खपत दर्ज की जा रही है, जिसके कारण अधिक राशि का विद्युत देयक जारी हो रहा है।

फोरम द्वारा उक्त शिकायत को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/151 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक 29.05.2026 को संपन्न हुई। सुनवाई के दौरान अनावेदकगण उपस्थित रहे, जबकि आवेदिका अनुपस्थित रहीं।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्युत कनेक्शन एवं बिलिंग अभिलेखों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि माह

अप्रैल 2026 के लिए उपभोक्ता को मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर 390 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जो सही है।

अनावेदक द्वारा पिछले वर्षों की ग्रीष्मकालीन अवधि (अप्रैल-दृग्द) की विद्युत खपत का विवरण भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार कृ

- वर्ष 2022 - 517 यूनिट
- वर्ष 2023 - 355 यूनिट
- वर्ष 2024 - 385 यूनिट
- वर्ष 2025 - 351 यूनिट
- वर्ष 2026 - 390 यूनिट

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2026 की खपत पूर्ववर्ती वर्षों की ग्रीष्मकालीन खपत के अनुरूप है तथा इसमें कोई असामान्य वृद्धि परिलक्षित नहीं होती।

अनावेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक भी प्रस्तुत किए गए, जिनका फोरम द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मीटर रीडिंग अथवा बिलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई तथा बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया जाना पाया गया।

अनावेदक ने यह भी अवगत कराया कि जांच के उपरांत आवेदिका से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उन्हें जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया गया, जिस पर आवेदिका ने संतोष व्यक्त किया।

2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रकों एवं अनावेदक के प्रतिवेदन के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि -

1. माह अप्रैल 2026 का विद्युत देयक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर तैयार किया गया है।

2. वर्ष 2026 की विद्युत खपत पूर्ववर्ती वर्षों के ग्रीष्मकालीन समूह के अनुरूप है तथा इसमें कोई अस्वाभाविक वृद्धि नहीं पाई गई।

3. मीटर अथवा बिलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा सुधार की आवश्यकता परिलक्षित नहीं हुई।

4. आवेदिका को जांच की जानकारी प्रदान किए जाने पर उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया।

अतः फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत का कोई तथ्यात्मक अथवा तकनीकी आधार सिद्ध नहीं होता।

3. आदेश

1. आवेदिका की शिकायत निराधार पाए जाने के कारण अस्वीकार की जाती है।

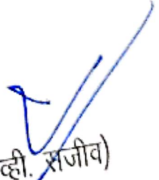
2. यह घोषित किया जाता है कि माह अप्रैल 2026 का विद्युत देयक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया गया है तथा उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।


(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग


(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग